भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2347

04.08.2025 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट प्रबंधन

2347. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे शहरों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में अपशिष्ट निपटान प्रणाली के प्रबंधन हेतु सरकार की योजना और नीतियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने अपशिष्ट लैंडफ़िल क्षेत्रों के निकट स्थायी अपशिष्ट निपटान प्रणाली के क्षेत्र में कोई अनुसंधान और विकास किया है ताकि उक्त क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार और विषाक्त गैसों को कम करने के उपाय किए जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रत्येक शहर में लैंडफ़िल क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या नीति बनाई गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों अर्थात (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, (iii) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, (iv) पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025, (v) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016, (vi) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, (vii) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, (viii) पर्यावरण संरक्षण (उपयोग अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, अपशिष्ट टायर, बैटरी अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, उपयोग किए हुए तेल, उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, तथा अलौह धातु स्क्रैप में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा देश में ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए सांविधिक तंत्र प्रदान किया गया है। इन नियमों के तहत, स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायतें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I में सेनेटरी लैंडफिल संबंधी विनिर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें दुर्गन्ध को कम करने और गैसों के स्थान विशिष्ट के बाहर फैलने को रोकने के लिए लैंडफिल गैस नियंत्रण प्रणाली और लैंडफिल गैस रिकवरी को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।

इन नियमों में स्थानीय निकायों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे सभी पुराने खुले डंपसाइटों और प्रचालित मौजूदा डंपसाइटों के जैव-खनन और जैव-शोधन की क्षमता की जांच और विश्लेषण करें तथा जहां भी संभव हो, वहां जैव-खनन या जैव-शोधन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करें।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिगेसी वेस्ट (पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट) के निपटान संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पुराने अपशिष्ट के जैव-खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत छोटे शहरों सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) अन्य बातों के साथ-साथ सभी पुराने कूड़ा स्थलों के जैव-शोधन पर केंद्रित है।

*****